

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—३४७ / २०१९

मंगलेश्वर सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. उपेंद्र प्रसाद केशरी विरोधी पक्ष
2. उपायुक्त, चतरा के माध्यम से झारखण्ड राज्य

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सुधीर कुमार शर्मा, अधिवक्ता

विपक्षी गण के लिए : श्री योगेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

०४ / दिनांक: २२ / ११ / २०१९

वर्तमान याचिका सिविल रिव्यू सं० १००/२०१८ की अपनी मूल फाइल में
पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है जिसे २९.०३.२०१९ के अनुल्लंघनीय आदेश के अनुपालन
नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया है।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वर्तमान सी०एम०पी० में उचित कारण बताया गया है और इस तरह सिविल
रिव्यू सं० १००/२०१८ को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। तदनुसार,
इस सी०एम०पी० का निपटान किया जाता है।

आवेदक को आज से दो सप्ताह के भीतर सिविल रिव्यू याचिका के त्रुटि संख्या 6 को दूर करने की अनुमति है, विफल होने पर सिविल रिव्यू याचिका को खंडपीठ के संदर्भ के बिना खारिज कर दी जाएगी।

(राजेश कुमार, न्याया०)